International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 4, Issue 12, December 2017
Website- www.aarf.asia, **Email** : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

अधिकार के विविध आयाम व उनके प्रभाव

डॉ. गुरदेव सिंह
एसोसिएट प्रोफ़ेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
गांधी आदर्श कॉलेज समालखा

प्रस्तावना

राज्य तथा उसके नागरिकों के परस्पर सम्बन्धों का प्रश्न राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । दोनों बीच इस सम्बन्धका पता हमें इस बात से लगता है कि राज्य ने अपने नागरिकों को कौन–कौन से अधिकार दिए तथा उनके जिम्मे कौन–कौन से कर्तव्य लगाए हैं । प्रत्येक राज्य के क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में से कुछ थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जो उस राज्य के नागरिक नहीं होते परन्तु कुछ विशेष कारणों से उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए वहाँ बस जाने की अनुमति मिल जाती है । ऐसे लोग विदेशी कहलाते हैं और इनके अधिकार उस राज्य के नागरिकों के अधिकारों से कम होते हैं । विशेष रूप से राजनीतिक अधिकारों तथा मतदान के अधिकार तथा स्वयं चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित होते हैं ।

© **Associated Asia Research Foundation (AARF)**
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं । इनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है । आधुनिक युग में अधिकारों का महत्त्व और अधिक हो गया है, क्योंकि आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है । इसलिए प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार देता है जिनका दिया जाना उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करने के लिए आवश्यक होता है । लॉस्की का कथन है कि ''एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है ।

अधिकारों के अनेक प्रकार हैं परन्तु स्पष्ट रूप में इनका वर्गीकरण संभव नहीं है क्येांकि कुछ विशिष्ट अधिकार अपने वर्गों को अभिव्याप्त करते हैं। अधिकारों के विशिष्ट प्रकारों को निम्न बिन्दुओं के द्वारा सही ढंग से समझा जा सकता है ।

नैतिक अधिकार

ये अधिकार वे दावें हैं जिन्हें समाज की चेतना द्वरा मान्यता प्रदान की गई है । जैसे एक शिक्षक का नैतिक अधिकार है कि उसका सम्मान किया जाये। इस दिशा में जिस तत्व पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है वह यह है कि इन अधिकारों को समाज की सद्भावना का समर्थन प्राप्त है । इन अधिकारों को लागू करने के लिए कोई दमनकारी शक्ति नहीं है । इसलिए हम अपने नैतिक अधिकारों को मान्य कराने के लिए किसी अदालत की शरण नहीं ले सकते । नैतिक अधिकार उन पवित्र आदेशों के समान है जिनको लागू करना

समाज की सद्भावना पर निर्भर करता है । जब नैतिक अधिकारों को कानूनी अधिकारों का रूप दे दिया जाता है तो वे कानूनी अधिकार बन जाते हैं क्योंकि राज्य की दमनकारी शक्ति उनका समर्थन करती है । यदि इस कानून का उल्लंघन किया जाए तो लोग दण्ड के भागीदार हो सकते हैं।[1]

सामाजिक अधिकार

ऐसे अधिकार जो व्यक्ति की जान और माल से सम्बन्ध रखते हैं, सामाजिक अधिकार कहलाते हैं क्योंकि इनका सम्बन्ध सभ्य जीवन की आवश्यक दशाओं से है । इस व्यापक वर्ग में कई ऐसे अधिकार आते हैं जैसे जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति, सम्पत्ति धर्म आदि के अधिकार । इन सभी सामाजिक अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अन्य सभी अधिकारों का उपयोग इसी पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का जीवन नहीं ले सकता । इतना ही नहीं व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करके अपने को बचाने का अधिकार है यदि उसके विरोधी का इरादा उसके प्राण लेना हो । इसे आत्म–रक्षा का अधिकार कहा जाता है । जीवन का अधिकार इतना महत्त्वपूर्ण है कि आत्महत्या करना अपराध है और ऐसा प्रयास करता हुआ पकड़ा गया व्यक्ति दंड का भागीदार होता है । इसलिए जिस व्यक्ति पर कत्ल का आरोप सिद्ध हो जाता है उसे मृत्युदंड दिया जाता है । किन्तु यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। राष्ट्रीय हित के नाम पर संकट के समय अनिवार्य सैनिक भर्ती के आदेश देकर राज्य इसे सीमित कर सकता है । इसी से सम्बन्धित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है क्योंकि अपनी शक्तियों का उपयोग

करने और जीवन की सामान्य परिस्थितियों का निर्धारण किये बिना मात्र जीवन का अधिकार बेकार होगा ।[2]

राजनीतिक अधिकार

व्यक्ति का राज्य के मामलों में भाग लेने का अधिकार राजनीतिक अधिकार कहलाता है । इन अधिकारों में मतदान का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें समय–समय पर होने वाले चुनाव लड़ने का अधिकार भी शामिल है जिनसे लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों में विश्वास व्यक्त करते हैं । सार्वजनिक पदों को धारण करने का अधिकार आता है । धर्म, जाति, नस्ल, पंथ, सम्पत्ति, लिंग आदि के आधार पर किसी भेदभाव को माने बिना सुयोग्य नागरिकों को सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार होना चाहिए । इसमें अपनी शिकायतों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में सरकार को अपनी याचिकाएँ देने का अधिकार शामिल है । अन्त में, लोगों को अपनी सरकार के कार्यों की प्रशंसा या निन्दा करने का अधिकार होना चाहिए ।[3]

आर्थिक अधिकार

व्यक्ति के व्यवसाय या लाभप्रद रोजगार से सम्बन्धित अधिकार आर्थिक अधिकार कहलाता है । इस अधिकार से व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या हल होती है । किन्तु आर्थिक अधिकारों का मामला एक विवादास्पद विषय है जबकि उदारवादी लोग इसे कुछ प्रतिबंधों के साथ यथा उत्पादन, वितरण और विनमय के साधनों के स्वामित्व और प्रबन्ध करने का अधिकार मानते हैं जिससे सामाजिक कल्याण की सिद्धि की जा सके । समाजवादी प्रकृति के

लोग समाज के अतिव्यापी हित पर अधिक बल देते हैं और इस कारण इस बात की पुष्टि करते हैं कि उत्पादन वितरण और विनमय के साधनों के स्वामित्व व नियंत्रण पर अधिक से अधिक कड़े प्रतिबन्ध लगाये जाए । इससे निजी सम्पति को ऐसा अवसर नहीं मिल सकता कि वह शोषण व पीड़न के साधन का स्वरूप धारण कर सके । परन्तु आर्थिक अधिकारों के बारे में समाजवादियों की सोच में काम करने, विश्राम व मनोरंजन करने, शारीरिक अक्षमता की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा आदि के अधिकार भी शामिल है । एक समाजवादी होने के नाते लास्की इसमें मजदूरों के उद्योगों पर नियंत्रण के अधिकारों को भी शामिल करता है ।[4]

मानव अधिकार

कभी प्राकृतिक अधिकार कहे जाने वाले, जिनको संशोधित रूप के साथ कुछ सामाजिक अधिकारों को मिलाकर मानव अधिकार आयोग द्वारा मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा के निर्माण से और 1948 से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इन्हें अपनाये जाने के बाद इन अधिकारों का विशेष महत्व हो गया है। इसकी प्रस्तावना सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए एक समान मानक की घोषणा करती है जिसका यह उद्देश्य है कि समाज का हर व्यक्ति और हर अंग शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान बढ़ाने की कोशिश करेगा । राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रभावी उपायों से इनके सार्वभौम व प्रबल रूप में स्वीकार किये जाने और इनका पालन किये जाने को सदस्य राज्य के जनों एवं उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन प्रदेशों के लिए सुरक्षित करेगा। मानव अधिकार एक विशद घोषणा है जिसमें नैतिक, प्राकृतिक और सामाजिक अधिकार शामिल है । मानव अधिकारों के अनुच्छेद–1 में कहा गया है

कि सभी लोग स्वतंत्र पैदा होते हैं और वे गरिमा व अधिकारों के समान है । उन्हें विवेक शक्ति व आत्मचेतना प्राप्त है और उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से व्यवहार करना चाहिए।[5] यद्यपि हम नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय अधिकारों की सूची तैयार कर सकते है, यह एक विवादास्पद विषय है, कि इनमें से किस को मौलिक अधिकारों के वर्ग में रखा जाए । इसका कारण चिन्तकों के विभिन्न दृष्टिकोणों और प्रतिबद्धताओं में ढूंढा जा सकता है । उदारवादी प्रकृति वाले उन राजनीतिक अधिकारों पर बल देते हैं जिनका सम्बन्ध विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है । मार्क्सवादी यही बात कुछ आर्थिक अधिकारों में करते हैं जैसे काम करने और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता ओर समानता के अधिकारों को सर्वोच्च महत्ता दी गई है। सोवियत रूस व चीन के संविधानों ने काम करने के अधिकारों को यही महत्ता प्रदान की है ।[6]

नागरिकों को मात्र अधिकारों को प्रदान किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें सुरक्षित करने के उपयुक्त उपाय होने चाहिए । इनकी गणना निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत की जा सकती है।

नागरिकों के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार देश के कानून में लिखे होने चाहिए जिससे लोग यह जान सके मूल अधिकार क्या होते हैं और किस प्रकार उनका उपयोग किया जा सकता है । उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था उन राजनीतिक अधिकारों को मूल महत्व प्रदान करती है जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पर्याप्त कारण के कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, इसके साथ ही अपनी उपयुक्त रक्षा के लिए न्यायालय में शरण लेने का अधिकार भी

होना चाहिए । साम्यवादी व्यवस्था यही सब आर्थिक अधिकारों के लिए करती है। समाजवादी दृष्टिकोण में सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों के साथ नागरिकों के जान व माल से सम्बन्धित आवश्यक स्वतंत्रताओं को भी इस वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए । ऐसे अधिकारों को मूल अधिकारों के वर्ग में शामिल करके उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है और उनको लागू किये जाने हेतु न्यायालयों को विशेष लेख या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है ।[7]

एक और सुरक्षायोग्य कानून का शासन है । इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं प्रथम, यह कानून के समक्ष समानता और उसके समान संरक्षण को सुनिश्चित करता है । अतः धर्म, जाति, सम्प्रदाय, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव किये बिना हर नागरिक समान कानूनी आधार के अधीन होना चाहिए । दूसरे, यह वैयक्तिक स्वतंत्रता सुनिश्चत करता है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी उचित कारण के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और जब तक कि उपयुक्त न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध फैसला नहीं हो जाता, उसे भौतिक या आर्थिक रूप से दण्डित नहीं किया जा सकता । प्रेस स्वतंत्र और ईमानदार होना चाहिए जिससे लोगों को सच्चे व निष्पक्ष समाचार मिलते रहे । यदि तथ्यों को उनके वास्तविक पक्षों में पेश नहीं किया जाता तो लोगों का मूल्यांकन गलत हो जाएगा । समाचार पत्र राजनीतिक निरंकुंशवाद को रोकने का सबसे अच्छा साधन है । लोगों के अधिकारों के लिए भी स्वतंत्र प्रेस की आवश्यकता है ।

लास्की के शब्दों में – ''जिन लोगों के लिए समाचारों का कोई आश्वस्त स्रोत नहीं है, वे आगे या पीछे स्वतंत्रता के आधारहीन लोगों की तरह हो जाते हैं ।''[8] राज्य को शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त का पालन करना चाहिए।

स्थानीय प्रशासन को यह शक्ति प्राप्त होनी चाहिए कि वह स्थानीय विषयों को संभाल सके। यद्यपि ऐसा करते हुए वह प्रान्तीय या केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अन्तर्गत होना चाहिए । इसी प्रकार क्षेत्रीय महत्व के विषयों को क्षेत्रीय या प्रान्तीय सरकारी को सौंपा जाना चाहिए । इससे सत्ता के दुरूपयोग पर अंकुश लगेगा । जिसका स्वाभाविक रूप में यह परिणाम होगा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी ।

समाज का स्वरूप बहुल होने से निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की अपेक्षा की जाती है इसलिए सरकारी अंगों से सम्बद्ध परामर्शदात्री संस्थाएं होनी चाहिए । प्रत्येक संघ या वर्ग इसलिए बनाया जाता है कि इसके सदस्यों के विशिष्ट हितों की रक्षा और संवर्धन हो सके । इसलिए सरकार के सम्बन्धित विभागों को किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व सम्बन्धित संघों से परामर्श करना चाहिए क्योंकि न केवल उस पक्ष की समस्या को समझने में मदद मिलेगी बल्कि उनको उपयुक्त रूप से शामिल भी किया जा सकेगा । इस प्रकार उनके सामान्य असंतोष को कम किया जा सकेगा । अतः सम्बन्धित लोग यह अनुभव करेंगे कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं तथा अपने संगठनों के माध्यम से उनकी रक्षा कर सकते हैं ।

राज्य को स्वयंसेवी वर्गों के वैध क्षेत्रों में अपनी गतिविधि के प्रयास को प्रविष्ठ नहीं करना चाहिए । राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अन्यथा इसका परिणाम होगा कि लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, केवल राष्ट्रव्यापी हित में ही ऐसा किया जा सकता है ।[9]

लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हेतु सदैव सर्तक रहना चाहिए। उनमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए । इंग्लैंड और फ्रांस में लोगों ने शाही निरंकुशवाद के खिलाफ विद्रोह किया और अपने शासकों को विवश कर दिया कि वे सिद्धान्त रूप में कानून की सर्वोच्चता को मान ले । अतः अधिकार देश की मूल विधि में लिखित रूप में शामिल किया जाए। यदि नागरिक अपने अधिकारों के लिए कृत संकल्प हो तो कोई भी सरकार उनको विकृत नहीं कर सकती ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त समस्त अधिकारों के अध्ययन के पश्चात स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारों के बारे में विचार सक्रिय एवं प्रबुद्ध नागरिकता के अध्ययन का अभिन्न अंग है । ऐतिहासिक साक्ष्य से पता चलता है कि जैसे समय बीतते हुए सक्रिय नागरिकता के विचार का विकास हुआ उसी तरह अधिकारों के विचारों का विकास हुआ । उससे यह भी पता चलता है कि अधिकारों की प्राप्ति उन लोगों के द्वारा लम्बे व सतत् संघर्ष का सुनिश्चित परिणाम है जिनके हृदय जिद्दी और सबल राजतंत्रीय शासन पद्धतियों के विरूद्ध आकाशीय अग्नि से अनुप्राणित थे । ऐसे संघर्षों के क्रम में महान चिन्तकों ने प्राकृतिक अधिकारों और मौलिक अधिकारों जैसे पारिभाषिक शब्दों की रचना की ।[10]

अधिकारों का हम चाहे किसी भी दृष्टिकोण से विवेचन करें, हमारे लिए यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि खुले और स्वंतत्र समाज में किसी कृत्रिम अधिकार पर किये गये भेदभाव के बिना हरेक को यथासंभव अधिक से अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिए, ताकि वह अपने व्यक्तित्व का यथासंभव विकास कर

सके। सार रूप में अधिकार अच्छे और बुरे जीवन के जरूरी पक्ष है और राज्य के बिना अधिकारों की व्यवस्था के बारे में सोचना असंभव है, क्योंकि राज्य ही हमारे अधिकारों की रक्षा करता है । राजनीतिक, प्राधिकार के स्वरूप को आंकने का हमारा तरीका सबसे बढ़कर उस योगदान में निहित है जो वह मानव के सुख के सार में करता है । अतः राजनीतिक दर्शन दृष्टि से राज्य एक सर्वोच्च संगठन नहीं है जिसमें अपनी इच्छा की मनमानी शक्ति है । संकीर्ण कानूनी अर्थों को छोड़कर यह अपनी प्रजा से आज्ञापालन की अपेक्षा नहीं कर सकता है ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लास्की, एच.जे., ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जार्ज एलन एण्ड अनविन, लंडन, 1961 पृ. सं. 89, 142
2. बैरी, एन.पी. ''एन इंट्रोडक्शन टू मोडर्न पॉलिटिकल थ्योरी'' मेकमिलन, लंडन, 1981, पृ. 186–187
3. ग्रीन, टी.एच., ''लेक्चर्स ऑन द प्रिन्सिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, मेकमिलन, लंडन, 1981, सेक्शन 144, पृ. सं. 192
4. फ्रैंक ठाकुरदास, ''द इंग्लिस यूटिलेटेरियन्स एण्ड द आइडियलिस्ट्स, विशाल पब्लिकेसन्स, दिल्ली, 1977, पृ. सं. 60
5. शर्मा, जी.एन, ''पॉलिटिकल थॉट ऑफ हैरॉल्ड जे. लास्की'', स्टर्लिंग, नई दिल्ली, 1984, पृ. सं. 96
6. शर्मा, जी.एल., ''सामाजिक मुद्दे'', रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2015, 1984, पृ. सं. 361
7. वही, पृ. सं. 362

8. वर्मा, श्रीराम, ''राजनीति विज्ञान के मूल आधार'', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2004, पृ. सं. 290
9. कोठारी, आशीष, ''पिपुल एण्ड प्रोटेक्टेड एरियाज'' सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1996, पृ. सं. 45
10. सिंह, जी,एन., ''फंडामैंटल्स ऑफ पॉलिटिकल सांइस एण्ड ऑर्गेनाइजेशन'', किताब महल, इलाहाबाद, 1966, पृ. सं. 117